5/2/26	पत्रावली पेश हुई। उक्त [illegible] रीति से स्वीकार किया जाकर दा[illegible] आवेदन स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कॉमन शुमार [illegible] नंबर में दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:08:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–195 / 08 तारीख रजु:–20.10.08

उनवान

हरगोविन्द पुत्र हरिकिशन जाति माली निवासी करौली तहसील व जिला करौली (फौत)

1. दिनेश
2. रामेशवर

] पुत्रान हरगोविन्द

3. अमरो
4. धनबाई
5. सुनीता
6. प्यारबाई

] पुत्रीयान हरगोविन्द

वारिस काबिज जायदाद मृतक हरगोविन्द

7. हल्की बेवा हरगोविन्द

सभी जातियान माली निवासीयान करौली तहसील व जिला करौली राज.

–वादीगण

बनाम

1. संतोष
2. हेमेन्द्र
3. रामबाबू

] पुत्र रधुवीर प्रसाद

4. मुन्नी देवी बेवा रधुवीर
5. प्रकाश
6. सुरेश

] हरीचरण

7. आशा
8. उषा
9. संतरा

] पुत्री रधुवीर

10. गोविन्दा
11. सुरेश

] पुत्रान हरीचरण

12. नारायण पुत्र हरीचरण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:08:35
Reason: SelfAttested

सभी जातियान महाजन निवासीयान भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली राजस्थान

13. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार करौली जिला करौली राज.

14. मुकेश
15. प्रदीप
16. मनोज — पुत्रान गोपाल
17. कमलेश
18. महेन्द्र

19. राजश्री पुत्री गोपाल

20. द्रोपती पत्नी गोपाल

सभी जातियान महाजन निवासी करौ हाल निवासी भारत मील कपडा मार्केट बाबासाडी सेन्टर फुहारे के पास गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र घोषणा खातेदारी व स्थाई निषधाज्ञा इस्तकार हक दुरूस्ती इन्द्राज में
आदेश 7 नियम 11 सीपीसी व धारा 11 सीपीसी

—::आदेश::— दिनांकः—05.02.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थियान प्रतिवादीगण नंबर 5 व 10 ने इस आशय का पेश किया है कि दावे में वादी को कोई लोकस स्टेण्डा दावा प्रस्तुत करने का नहीं है। वादी हरकिशन का पुत्र नहीं है। हरकिशन लाऔलाद फौत हुआ है एवं वादी ने फर्जी तरीके से दावा प्रस्तुत किया है। वादी के उपरोक्त भूमि में कोई अधिकार नहीं है एवं वादी का खातेदार हरकिशन से कोई संबंध में किसी भी प्रकार का [illegible] है। इस प्रकार वादी रौंग प्लेन्टिफ बनकर आया है। वादी को कोई वाद प्रस्तुत क[illegible] का हक नहीं है। दावे में विवादित भूमि से संबंधित नामांतकरण संख्या 217 [illegible] दिनांक 31.10.1965 को प्रतिवादीगण के हक दर्ज किया गया था। उसकी अपील खातेदार हरकिशन की पत्नि सुरजो बेवा हरकिशन ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। जिसका मुकदमा नंबर 5/86 है। जो दिनांक 10.7.1986 को खारिज कर दी गई। इस प्रकार जो विवाद न्यायालय द्वारा सन् 1986 में तय किया जा चुका

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.05.04 13:08:35 IS
Reason: SelfAttested

है। उस पर पुनः नया दावा नहीं लाया जा सकता है। यह रेस ज्येडिकेटा की तारीफ में आता है और इस आधार पर दावा खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने इस दावे में धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और केवल म्याद के पैरा में यह लिख दिया है कि दावा अन्दर म्याद पेश है। किन्तु यह स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि दावा अन्दर म्याद किस प्रकार से है। जबकि हरकिशन की पत्नि सुरजो उस समय खातेदार थी उसको इस भूमि की खातेदारी हम प्रतिवादीगण के हक में होने की जानकारी सन् 1965 से ही हो गई एवं सन् 1965 में सुरजो की जो जानकारी थी वह समस्त कायम मुकाम की जानकारी होना माना जावेगी। इस प्रकार दावा 45 वर्ष देरी से पेश किया गया है। म्याद अधिनियम के प्रावधानों के तहत म्याद कंडोन करने का कोई प्रार्थना–पेश नहीं है। दावा म्याद बहार होने के कारण म्याद अधिनियम के प्रावधन अनुसार दावा खारिज किये जाने योग्य है। इस दावे में कॉज ऑफ एक्शन सही डिस्कॉलॉज नहीं किया है एवं प्लेन्टिफ नियम 9 के अनुसार सन् 2008 से अब तक सर्व नहीं करा सका है और नियम 9 सीपीसी की पालना सही प्रकार नहीं की है इस आधार पर भी दावा खारिज किये जाने योग्य है। दावे के अन्दर कानून प्रावधानों के विरूद्व तरीके से दावा पेश किये जाने के कारण व तहसीलदार करौली को गलत पक्षकार बनाये जाने के कारण कन्डेक्ट ऑफ सूट के आधार पर भी दावा खारिज किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण अप्रार्थीयान द्वारा जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि खातेदार हरकिशन का वादी पुत्र नहीं हो हरकिशन लाऔलाद फौत हुआ हो गलत है। वादी को कोई लोकस स्टेन्डाई नहीं हो। वादी का हरकिशन से कोई संबंध नहीं हो गलत दर्ज किया है। वादी की मां हरकिशन की पत्नि का नाम सुरजो होना गलत दर्ज किया है। हरकिशन की पत्नि [illegible] अपील हो और अपील नामांतकरण से दावा रेस ज्येडिकेटा की तारीफ में आता गलत है। यह समस्त तथ्य भी गलत दर्ज किये है। हरकिशन की पत्नि सुरजो [illegible] हो और वह खातेदार हो और मुझे सन् 1965 से खातेदारी की जानकारी [illegible] गलत दर्ज किया है। इस दावे में धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र की आवश्यकता हो और डीले कंडोन करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गलत दर्ज किया है। वादी अब तक सम्मन सर्व नहीं करवा सका हो यह भी गलत दर्ज किया है। वादी खातेदार हरकिशन का

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.05.04 13:08:35 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

पुत्र है। वादी हरकिशन के जीवनकाल से हरकिशन के साथ रहा है और काश्त करता रहा। जमीन पर वादी बाहिद काबिज है। हरकिशन खातेदार की पत्नि का नाम सुरजदेवी था जिसने कभी कोई अपील पेश नहीं की। किसी गलत व फर्जी औरत द्वारा हरकिशन की पत्नि बनकर नामांतकरण की अपील जमीनों को हडपने के लिए प्रतिवादीगण ने मिलकर साजिश करके कर दी गई हो तो उससे मैं वादी बाध्य नहीं हूं। वह मेरे खातेदारी हकूकों पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। नामांतकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही होती है। नामांतकरण खुलने मात्र से जिसके हक में नामांतकरण खुला है। नामांतकरण से हकूक खातेदारी प्राप्त नहीं होती है तथा अपील नामांतकरण होने से दावा रेगूलन सूट किये जाने में कोई रूकावट नहीं है। नामांतकरण की अपील में किसी प्रकार की कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होते है न ही कोई जिरह होती है। जबकि रेगूलन सूट में देनों पक्षों के मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य लेकर फाईनली दावा तय किया जाता है। जिसमें नामांतकरण सही भरा है या नहीं तथा इस वर्तमान जमाबंदी के इन्द्राज सही है या नहीं का भी निर्णय किया जाता है। इसलिए नामांतकरण की अपील हुई भी हो तो दावे के चलने में कोई रूकावट नहीं है। दावा रेस ज्यूडिकेटा की तारीफ में किसी भी तरह से नहीं आ सकता। दावा हाजा वादी की और से घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी का पेश किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा खातेदारी का दावा करने के लिए कोई म्याद नहीं होती है। जबकि स्थाई निषेधाज्ञा के लिए 3 वर्ष म्याद कब्जे में इन्टरफेंस करने के दिन से लागू होती है। इसलिए दावा बैरून म्याद है और धारा 5 म्याद अधिनियम की दरख्यात आवश्यक हो यह गलत दर्ज किया है। धारा 188 आर टी एक्ट में वादकारण होने क दिन से म्याद 3 वर्ष बताई गई है। वादी द्वारा समय–समय पर अदालत के आदेशानुसार समय–समय पर सम्मन तलवाने पेश किये जाते रहे है। प्रतिवादीगण इरादतन शामिल नहीं होते थे। इसलिए तामील नहीं हो रही थी। इसलिए अब सभी की उपस्थिति दर्ज हो चुकी है। इसलिए तामील में डिले किया गया चलने योग्य नहीं है। तथ्य व फैक्ट के उपर आधारित है। जिनका नियमानुसार तनकी बनाकर व दोनों पक्षों के मौखिक व दस्तावेजी सबूत लेकर तय किया जा सकता है। इस स्टेज पर दरख्यात चलने योग्य नहीं है। अंत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:08:35 IS
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्ष प्रार्थना–पत्र पर सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थीयान ने जबाव प्रार्थना–पत्रों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि दावे में वादी को कोई लोकस स्टेण्डा दावा प्रस्तुत करने का नहीं है। वादी हरकिशन का पुत्र नहीं है। हरकिशन लाऔलाद फौत हुआ है एवं वादी ने फर्जी तरीके से दावा प्रस्तुत किया है। वादी के उपरोक्त भूमि में कोई अधिकार नहीं है एवं वादी का खातेदार हरकिशन से कोई संबंध में किसी भी प्रकार का नहीं है। इस प्रकार वादी रौंग प्लेन्टिफ बनकर आया है। वादी को कोई वाद प्रस्तुत करने का हक नहीं है। दावे में विवादित भूमि से संबंधित नामांतकरण संख्या 217 जो दिनांक 31.10.1965 को प्रतिवादीगण के हक दर्ज किया गया था। उसकी अपील खातेदार हरकिशन की पत्नि सुरजो बेवा हरकिशन ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। जिसका मुकदमा नंबर 5/86 है। जो दिनांक 10.7.1986 को खारिज कर दी गई। इस प्रकार जो विवाद न्यायालय द्वारा सन् 1986 में तय किया जा चुका है। उस पर पुनः नया दावा नहीं लाया जा सकता है। यह रेस ज्येडिकेटा की तारीफ में आता है और इस आधार पर दावा खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने इस दावे में धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और केवल म्याद के पैरा में यह लिख दिया है कि दावा अन्दर म्याद पेश है। किन्तु यह स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि दावा अन्दर म्याद किस प्रकार से है। जबकि हरकिशन की पत्नि सुरजो उस समय खातेदार थी उसको इस भूमि की खातेदारी हम प्रतिवादीगण के हक में होने की जानकारी सन् 1965 से ही हो गई एवं सन् 1965 में सुरजो की जो जानकारी थी वह समस्त कायम मुकाम की जानकारी होना माना जावेगी। इस प्रकार दावा 45 वष 'देरी से पेश किया गया है। म्याद अधिनियम के प्रावधानों के तहत म्याद कंडोन करने का कोई प्रार्थना–पेश नहीं है। दावा म्याद बाहर होने के कारण म्याद अधिनियम के प्रावधन अनुसार दावा खारिज किये जाने योग्य है। इस दावे में कॉज ऑफ एक्शन सही डिस्कॉलॉज नहीं किया है एवं प्लेन्टिफ नियम 9 के अनुसार सन् 2008 से अब तक सर्व नहीं करा सका है और नियम 9 सीपीसी की पालना सही प्रकार नहीं की है इस आधार पर भी दावा खारिज किये जाने योग्य है। दावे के अन्दर कानून प्रावधानों के विरूद्व तरीके से दावा पेश किये जाने के कारण व तहसीलदार करौली को गलत पक्षकार बनाये जाने के कारण कन्र्डक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:08:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

ऑफ सूट के आधार पर भी दावा खारिज किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थीयान गैरसायल का बहस में कथन है कि खातेदार हरकिशन का वादी पुत्र नहीं हो हरकिशन लाऔलाद फौत हुआ हो गलत है। वादी को कोई लोकस स्टेन्डाई नहीं हो। वादी का हरकिशन से कोई संबंध नहीं हो गलत दर्ज किया है। वादी की मां हरकिशन की पत्नि का नाम सुरजो होना गलत दर्ज किया है। हरकिशन की पत्नि द्वारा नामांतकरण की अपील हो और अपील नामांतकरण से दावा रेस ज्येडिकेटा की तारीफ में आता गलत है। यह समस्त तथ्य भी गलत दर्ज किये है। हरकिशन की पत्नि सुरजो हो और वह खातेदार हो और मुझे सन् 1965 से खातेदारी की जानकारी हो गलत दर्ज किया है। इस दावे में धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र की आवश्यकता हो और डीले कंडोन करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गलत दर्ज किया है। वादी अब तक सम्मन सर्व नहीं करवा सका हो यह भी गलत दर्ज किया है। वादी खातेदार हरकिशन का पुत्र है। वादी हरकिशन के जीवनकाल से हरकिशन के साथ रहा है और काश्त करता रहा। जमीन पर वादी बाहिद काबिज है। हरकिशन खातेदार की पत्नि का नाम सुरजदेवी था जिसने कभी कोई अपील पेश नहीं की। किसी गलत व फर्जी औरत द्वारा हरकिशन की पत्नि बनकर नामांतकरण की अपील जमीनों को हडपने के लिए प्रतिवादीगण ने मिलकर साजिश करके कर दी गई हो तो उससे मैं वादी बाध्य नहीं हूं। वह मेरे खातेदारी हकूकों पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। नामांतकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही होती है। नामांतकरण खुलने मात्र से जिसके हक में नामांतकरण खुला है। नामांतकरण से हकूक खातेदारी प्राप्त नहीं होती है तथा अपील नामांतकरण होने से दावा रेगूलन सूट किये जाने में कोई रूकावट नहीं है। नामांतकरण की अपील में किसी [illegible] की कोई [illegible] साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होते है न ही कोई जिरह होती है। जबकि रेगूलन सूट [illegible]नों पक्षों के मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य लेकर फाईनली दावा तय किया जाता [illegible] जिसमें नामांतकरण सही भरा है या नहीं तथा इस वर्तमान जमाबंदी के इन्द्र[illegible] सही है या नहीं का भी निर्णय किया जाता है। इसलिए नामांतकरण की अपील हुई भी हो तो दावे के चलने में कोई रूकावट नहीं है। दावा रेस ज्यूडिकेटा की तारीफ में किसी भी तरह से नहीं आ सकता। दावा हाजा वादी की और से घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी का पेश किया गया है। जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.05.04 13:08:35 I
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा खातेदारी का दावा करने के लिए कोई म्याद नहीं होती है। जबकि स्थाई निषेधाज्ञा के लिए 3 वर्ष म्याद कब्जे में इन्टरफेंस करने के दिन से लागू होती है। इसलिए दावा बैरून म्याद है और धारा 5 म्याद अधिनियम की दरख्यात आवश्यक हो यह गलत दर्ज किया है। धारा 188 आर टी एक्ट में वादकारण होने क दिन से म्याद 3 वर्ष बताई गई है। वादी द्वारा समय–समय पर अदालत के आदेशानुसार समय–समय पर सम्मन तलवाने पेश किये जाते रहे है। प्रतिवादीगण इरादतन तामील नहीं होने दे रहे थे। इसलिए तामील नहीं हो रही थी। इसलिए अब सभी की उपस्थिति दर्ज हो चुकी है। इसलिए तामील में डिले किया गया चलने योग्य नहीं है। तथ्य कानून व फैक्ट के उपर आधारित है। जिनका नियमानुसार तनकी बनाकर व दोनों पक्षों के मौखिक व दस्तावेजी सबूत लेकर तय किया जा सकता है। इस स्टेज पर दरख्यात चलने योग्य नहीं है। अंत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत मतदाता सूची वर्ष, 2008 के क्रमांक 337 पर हरगोविन्द के पिता का नाम प्रभु लिखा है। जिसका मतदाता क्रमांक पहचान पत्र KFX/1176858 है और प्रभु की पत्नि व वादी हरगोविन्द की मां का नाम फूलबाई दर्ज है इसी पहचान पत्र क्रमांक पर दिनांक 16.1.11 को पिता का नाम हरकिशन दर्ज है। जबकि वादी की पत्नि का नाम हल्की दर्ज है। जो वोटर लिस्ट सन् 2008 में क्रमांक 338 पर हल्की पत्नि हरगोविन्द का नाम दर्ज है एवं क्रमांक 339 नंबर पर फूलबाई पत्नि प्रभु का नाम दर्ज है। जिससे स्पष्ट होता है कि सुरजबाई नाम की कोई पत्नि हरकिशन की नहीं रही है एवं हरकिशन की पत्नि सुरजो द्वारा अपने अपील मीमो में हरकिशन को निसंतान फौत हो जाना एवं स्वंय को एकमात्र वारिस होना बताया है। नामांतकरण नंबर 217 दिनांक 31 10.65 खरीद 90/– रूपये की वयनामा पर प्रतिवादीगण के पितागण ह[illegible] द[illegible] किया गया है। जिसकी अपील दिनांक 3.3.86 को ह[illegible] द्वारा मुकदमा नंबर 5/86 उनवानी श्रीमती सुरजो बनाम प्रभुलाल वगै0 [illegible]त की गई थी जो न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 10.7.86 को खारिज की जा चुकी है। इस प्रकार वादी का हरकिशन पुत्र सेडू का वारिस नहीं होना पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज से प्रकट होता है। वादी को हरकिशन का पुत्र बनकर दावा पेश करने का हक उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि वादी मतदाता सूची वर्ष 2008

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:08:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

में क्रमांक 337 पर प्रभु का पुत्र दर्ज है और उसी क्रमांक पर 2011 में जारी परिचय पत्र में हरगोविन्द पुत्र हरकिशन दर्ज हुआ है। जिससे स्पष्ट है कि वादी ने परिचय पत्र में पिता का नाम प्रभु के स्थान पर हरकिशन दर्ज कराकर यह दावा पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में सुरजो व प्रतिवादीगण के मध्य हकूक खातेदारी अपील नामांतकरण मुकदमा 5/86 निर्णय दिनांक 10.7.86 में तय हो चुके है। इसलिए यह वाद धारा 11 सीपीसी के तहत रेस ज्यूडिकेटा की तारीफ में आता है एवं वार्डबाई लॉ होने से चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान/प्रतिवादीगण 5 व 10 आदेश 7 रूल 11 एवं धारा 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण रेसज्यूडिकेटा होने से एवं वार्डबाई लॉ होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 05.02.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:08:35 IST
Reason: SelfAttested